



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28022025-261347
CG-DL-E-28022025-261347

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 27, 2025/फाल्गुन 8, 1946

No. 120]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 27, 2025/PHALGUNA 8, 1946

संचार मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2025

सा.का.नि. 154(अ). - निम्नलिखित मसौदा नियम, जिसे केन्द्रीय सरकार दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (क) के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को इससे संभावित रूप से प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा नियमों पर उस तारीख से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां सर्वसाधारण को उपलब्ध कराई जाती हैं;

यदि कोई आपत्तियां या सुझाव हों तो उन्हें संयुक्त सचिव (दूरसंचार), दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001 को भेजा जा सकता है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त मसौदा नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से उपर्युक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त आपत्तियों अथवा सुझावों पर विचार किया जाएगा।

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और व्यावृत्ति -

- (1) इन नियमों को दूरसंचार (रेडियो उपकरण कब्जा प्राधिकार) नियम, 2025 कहा जा सकता है।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- (3) ये नियम भारतीय बेतार टेलीग्राफी (कब्जा) नियम, 1965 और इस विषय पर सभी विद्यमान कार्यालय आदेशों या ज्ञापनों का अधिक्रमण करेंगे, परंतु ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किये गये या किये जाने से लोप किए गए कार्यों को अधिभूत नहीं करेंगे और रेडियो उपकरण, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, के कब्जे के लिए

विद्यमान प्राधिकारों के निबंधनों और शर्तों को ऐसे प्राधिकार की समाप्ति की तारीख तक या अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (6) के अधीन नियमों के अनुसार ऐसे प्राधिकार के स्थानांतरण की तारीख तक अधिभूत नहीं करेंगे।

2. परिभाषाएं –

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) "अधिनियम" से दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) अभिप्रेत है;

(ख) "डीलर" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के तहत पंजीकृत कोई कंपनी, या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) के तहत पंजीकृत कोई सीमित देयता भागीदारी, या कोई भारतीय नागरिक अभिप्रेत है जो किसी रेडियो उपकरण का बिक्री के लिए आयात के माध्यम से सौदा करता है, या किराए पर देता है, बेचता है, पेश करता है, मरम्मत करता है, या बिक्री के लिए विनिर्माण करता है, या परीक्षण या प्रदर्शन के लिए अपने पास रखता है;

(ग) "पोर्टल" से नियम 13 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाने वाला पोर्टल अभिप्रेत है; और

(घ) "रेडियो उपकरण कब्जा प्राधिकार" से इन नियमों के अंतर्गत प्रदत्त प्राधिकार अभिप्रेत है, जो नियम 3 के उप-नियम (2) के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी का हो सकता है।

(2) उन शब्दों और पदों जिनका उपयोग इन नियमों में किया गया है और जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है परंतु जिन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए विनिर्दिष्ट किये गये हैं।

3. कार्यक्षेत्र –

(1) कोई भी व्यक्ति नियम 6 के अंतर्गत प्रदत्त रेडियो उपकरण कब्जा प्राधिकार के अध्यक्षीन और उसके अनुसार ही रेडियो उपकरण रखेगा, जब तक कि उसे नियम 4 के अध्यक्षीन ऐसे रेडियो उपकरण कब्जा प्राधिकार की अपेक्षा से छूट न दी गई हो।

(2) नियम 6 के अंतर्गत प्रदत्त रेडियो उपकरण कब्जा प्राधिकार निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी का हो सकता है:

(क) डीलर कब्जा प्राधिकार; या

(ख) विशेष कब्जा प्राधिकार।

4. रेडियो उपकरण कब्जा प्राधिकार से छूट – निम्नलिखित के संबंध में रेडियो उपकरण कब्जा प्राधिकार की आवश्यकता नहीं होगी:

(क) रेडियो उपकरण जिसे धारा 3 की उप-धारा (3) अथवा उप-धारा (4) के अंतर्गत प्राधिकार की आवश्यकता से छूट दी गई है;

(ख) रेडियो उपकरण का कब्जा अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त प्राधिकार धारण करने वाली प्राधिकृत इकाई के पास हो, और अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (4) के अंतर्गत स्पेक्ट्रम आवंटन किया गया हो, अथवा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के अंतर्गत लाइसेंस हो जो अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (6) के अनुसार वैध हो और स्पेक्ट्रम आवंटन किया गया हो जो अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (8) और (9) के अनुसार वैध हो; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित रेडियो उपकरण का कब्जा, जिसकी आवश्यकता दूरसंचार सेवा के उपयोग के लिए प्रयोक्ता को हो सकती है।

5. रेडियो उपकरण कब्जा प्राधिकार के लिए आवेदन –

(1) डीलर द्वारा पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्रपत्र और तरीके से, एक हजार रुपए की फीस के भुगतान के साथ, सहायक दस्तावेजों के साथ डीलर कब्जा प्राधिकार के लिए आवेदन किया जा सकेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अंतर्गत, जिन्हें वह निर्धारित करे, डीलर के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को विशेष कब्जा प्राधिकार के लिए आवेदन करने की अनुज्ञा दे सकेगी।

- (3) कोई भी व्यक्ति जिसका रेडियो उपकरण कब्जा प्राधिकार ऐसे प्राधिकार के निबंधनों और शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप रद्द कर दिया गया है, तो वह ऐसे रद्दकरण से पांच वर्ष की अवधि के लिए रेडियो उपकरण कब्जा प्राधिकार के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा।

6. रेडियो उपकरण कब्जा प्राधिकार प्रदान करना और वैधता –

- (1) केन्द्रीय सरकार, नियम 5 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन के मूल्यांकन के पश्चात्, और आवेदक की सुरक्षा और प्रशासनिक मंजूरी तथा उस परिसर, जहां ऐसे रेडियो उपकरण को रखा जाना है, की सुरक्षा के आकलन के अध्यधीन, निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट करते हुए, प्रासंगिक श्रेणी का रेडियो उपकरण कब्जा प्राधिकार प्रदान करेगी:

(क) प्रासंगिक रेडियो उपकरण को रखे जाने के लिए परिसर; और

(ख) उप-नियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट लागू वैधता अवधि और प्राधिकार शुल्क।

- (2) रेडियो उपकरण कब्जा प्राधिकार की प्रत्येक श्रेणी के लिए लागू वैधता अवधि और प्राधिकार शुल्क निम्नानुसार होंगे:

रेडियो उपकरण कब्जा प्राधिकार की श्रेणी	वैधता अवधि और प्राधिकार शुल्क
डीलर कब्जा प्राधिकार	वैधता अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी और पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। एक वर्ष से अधिक के लिए कोई भी मंजूरी एक वर्ष के गुणकों में या पांच वर्षों के लिए होगी, जैसा कि आवेदक द्वारा अनुरोध किया गया हो। प्राधिकार शुल्क [दस हजार] रुपये प्रति वर्ष, जो सालाना अग्रिम रूप से देय होगा, या डीलर चाहे तो, प्राधिकार की पूरी अवधि के लिए अग्रिम रूप से भुगतान कर सकेगा।
विशेष कब्जा प्राधिकार	वैधता अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। प्राधिकार शुल्क [दस हजार] रुपए प्रति वर्ष, या एक वर्ष से कम अवधि के लिए यथानुपात राशि।

- (3) इन नियमों के अध्यधीन प्रदान किया गया रेडियो उपकरण कब्जा प्राधिकार ऐसा प्राधिकार प्रदान करने में विनिर्दिष्ट परिसर और स्थान विशेष के लिए होगा और रेडियो उपकरण को रखने के स्थान या परिसर में कोई भी परिवर्तन वैध रेडियो उपकरण कब्जा प्राधिकार रखने वाली प्राधिकृत संस्था द्वारा पोर्टल पर यथा-विनिर्दिष्ट प्रपत्र में एक हजार रुपए के शुल्क के भुगतान सहित आवेदन प्रस्तुत करके केन्द्रीय सरकार से अपेक्षित सुरक्षा और प्रशासनिक मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकेगा।

7. नवीनीकरण –

- (1) वैध रेडियो उपकरण कब्जा प्राधिकार रखने वाली प्राधिकृत संस्था पोर्टल पर निर्दिष्ट प्रपत्र में आवेदन करके, ऐसे प्राधिकार की समाप्ति से कम से कम एक माह पूर्व उसके नवीनीकरण के लिए आवेदन करेगी:

वशर्तें नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रासंगिक प्राधिकार की समाप्ति के बाद प्रत्येक माह की देरी के लिए दो सौ पचास रुपये के विलम्ब शुल्क के भुगतान पर तीन माह तक स्वीकार किया जा सकेगा।

- (2) केन्द्रीय सरकार नवीनीकरण के लिए आवेदन पर विचार करने के पश्चात:

- (क) प्राधिकृत संस्था के अनुरोध के अनुसार डीलर कब्जा प्राधिकार को न्यूनतम एक वर्ष और अधिकतम पांच वर्षों के लिए, एक वर्ष के गुणकों में, नवीनीकृत करेगी; या
- (ख) विशेष कब्जा प्राधिकार को ऐसी अवधि के लिए नवीनीकृत करेगी कि प्राधिकार की अवधि, जिसमें इसकी आरंभिक वैधता अवधि भी शामिल है, दो वर्ष से अधिक न हो।
- (3) नियम 6 के उप-नियम (2) में यथा-विनिर्दिष्ट प्राधिकार शुल्क प्रासंगिक प्राधिकार के किसी भी नवीनीकरण की अवधि के लिए लागू होगा।

8. सामान्य निबंधन और शर्तें. —

- (1) रेडियो उपकरण कब्जा प्राधिकार रखने वाली प्राधिकृत संस्था:
- (क) रेडियो उपकरण कब्जा प्राधिकार को परिसर में सुस्पष्ट तरीके से प्रदर्शित करेगी जैसा कि रेडियो उपकरण कब्जा प्राधिकार में निर्दिष्ट है;
- (ख) संपर्क विवरण में किसी भी परिवर्तन की सूचना ऐसे किसी भी परिवर्तन के पंद्रह दिनों के भीतर केन्द्रीय सरकार को पोर्टल पर निर्दिष्ट प्रपत्र में देगी :
बशर्ते रेडियो उपकरण के स्थान में कोई भी परिवर्तन नियम 6 के उप-नियम (3) के प्रावधानों के अनुसार किया गया हो;
- (ग) नियम 4 के खंड (ख), अथवा इन नियमों के अंतर्गत रेडियो उपकरण कब्जा प्राधिकार के तहत यथाविनिर्दिष्ट अन्य प्राधिकृत संस्था अथवा लाइसेंसधारक के रेडियो उपकरण को मरम्मत के प्रयोजनार्थ अपने परिसर में रखेगी;
- (घ) पोर्टल पर यथा-विनिर्दिष्ट दस्तावेजों, खातों, प्राकलनों, विवरणियों, रिपोर्टों या अन्य सूचनाओं को रखेगी, जिन्हें मांग पर केन्द्रीय सरकार के साथ साझा और अद्यतन किया जाएगा;
- (ङ) केन्द्रीय सरकार या इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को प्राधिकृत संस्था के परिसर में रेडियो उपकरण का भौतिक सत्यापन करने की अनुमति देगी;
- (च) यह सुनिश्चित करेगी कि उसके कब्जे में मौजूद रेडियो उपकरण सुरक्षा या स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं बनना चाहिए और यह वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है; तथा
- (छ) रेडियो उपकरण कब्जा प्राधिकार के तहत यथा-विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों का पालन करेगी।
- (2) कोई भी प्राधिकृत संस्था केन्द्रीय सरकार के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना अपने पास रखे गए रेडियो उपकरण कब्जा प्राधिकार का प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी भी तरीके से कोई आबंटन या हस्तांतरण नहीं करेगी या ऐसे प्राधिकार पर उप-पट्टे या साझेदारी या तीसरे पक्ष के हित के सृजन के लिए कोई समझौता नहीं करेगी।

9. बिक्री या किराये पर देने की शर्तें — रेडियो उपकरण कब्जा प्राधिकार रखने वाली कोई भी प्राधिकृत संस्था किसी भी व्यक्ति को रेडियो उपकरण तब तक नहीं बेचेगी या किराये पर नहीं देगी, जब तक कि ऐसा व्यक्ति:

- (क) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त प्राधिकार न रखता हो तथा जिसे अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अंतर्गत स्पेक्ट्रम आबंटन न किया गया हो, अथवा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के अंतर्गत लाइसेंसप्राप्त न हो जो अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (6) के अनुसार वैध हो और जिसे स्पेक्ट्रम आबंटन न किया गया हो जो अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (8) और (9) के अनुसार वैध हो; और
- (ख) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) अथवा उप-धारा (4) के अंतर्गत प्राधिकार की आवश्यकता से छूट प्राप्त न हो; या
- (ग) इन नियमों के अंतर्गत जारी रेडियो उपकरण कब्जा प्राधिकार न रखता हो; या
- (घ) ऐसा उपयोगकर्ता न हो जिसके पास दूरसंचार सेवा के उपभोक्ता का प्रमाण हो।

10. निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन

रेडियो उपकरण कब्जा प्राधिकार के निबंधन एवं शर्तों सहित इन नियमों का कोई भी गैर-अनुपालन अधिनियम के अध्याय VIII के तहत बनाए गए नियमों के अधीन होगा।

11. रेडियो उपकरण कब्जा प्राधिकार का सरेन्डर

- (1) कोई प्राधिकृत संस्था किसी भी समय अपने रेडियो उपकरण कब्जा प्राधिकार को, प्रस्तावित सरेन्डर तिथि से कम से कम तीस दिन पहले, पोर्टल पर निर्दिष्ट प्रपत्र में, ऐसे आवेदन की तिथि तक उसके द्वारा देय प्राधिकार शुल्क के संबंध में लागू देय राशि के भुगतान के प्रमाण के साथ आवेदन प्रस्तुत करके सरेन्डर कर सकती है: बशर्ते कोई भी रेडियो उपकरण कब्जा प्राधिकार तब तक सरेन्डर नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसे प्राधिकार पर अधिनियम के अध्याय VIII के तहत बनाए गए नियमों के तहत कार्यवाही की जा रही हो।
- (2) केन्द्रीय सरकार, आवेदन पर विचार करने के आधार पर, प्रासंगिक रेडियो उपकरण के निपटान के लिए निबंधन एवं शर्तों के अधीन, या तो ऐसे सरेन्डर को अनुमोदित करेगी, या उप-नियम (1) के तहत आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर, कारणों के लिखित रूप में दर्ज करके ऐसे आवेदन को अस्वीकार कर देगी।
- (3) कोई प्राधिकृत संस्था जिसने ऐसे प्राधिकार की समाप्ति के पश्चात तीन महीने की अवधि के भीतर प्रासंगिक प्राधिकार का नवीनीकरण नहीं किया है, वह तीन महीने की ऐसी अवधि के भीतर पोर्टल पर निर्दिष्ट प्रपत्र में रेडियो उपकरण के निपटान के लिए निर्देश प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगी और केन्द्रीय सरकार ऐसे आवेदन की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर प्रासंगिक रेडियो उपकरण के निपटान के लिए निबंधन एवं शर्तों निर्दिष्ट करेगी।
- (4) उप-नियम (2) या उप-नियम (3) के अनुसार रेडियो उपकरण का कोई भी निपटान, प्राधिकृत संस्था द्वारा ऐसे निपटान के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट निबंधन एवं शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

12. शुल्क वापस नहीं की जाएगी –

- (1) इन नियमों के अंतर्गत आवेदन के संबंध में भुगतान किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
- (2) किसी भी कारण से रेडियो उपकरण कब्जा प्राधिकार के निलंबन या रद्दकरण के परिणामस्वरूप कोई क्षतिपूर्ति या फीस की वापसी लागू नहीं होगी।

13. नियमों का डिजिटल कार्यान्वयन – अधिनियम की धारा 53 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इन नियमों के डिजिटल कार्यान्वयन जिसमें प्रासंगिक प्रपत्रों का प्रकाशन, आवेदन प्रस्तुत करना और इन नियमों के तहत निर्दिष्ट प्रासंगिक रेडियो उपकरण कब्जे प्राधिकार और अनुमोदन प्रदान करना शामिल है के लिए एक पोर्टल अधिसूचित कर सकती है।

[फा.सं. 24-03/2025-यूबीबी]
देवेन्द्र कुमार राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(Department of Telecommunications)
NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2025

G.S.R. 154(E). – The following draft rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (c) to sub-section (1) of section 3, read with clause (a) to sub-section (2) of section 56 of the Telecommunication Act, 2023 (44 of 2023), are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary (Telecom), Department of Telecommunications, Ministry of Communications, Government of India, Sanchar Bhawan, 20, Ashoka Road, New Delhi- 110001;

The objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period shall be taken into consideration by the Central Government.

1. Short title, commencement and savings. –

- (1) These rules may be called the Telecommunications (Radio Equipment Possession Authorisation) Rules, 2025.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- (3) These rules shall be in supersession of the Indian Wireless Telegraphy (Possession) Rules, 1965, and all existing office orders or memorandums on the subject, but shall not override things done or omitted to be done before such supersession and without overriding the terms and conditions of existing authorisations for possession of radio equipment, by whatsoever name called, till the date of expiry of such authorisation or till the date of migration of such authorisation in accordance with rules under sub-section (6) of section 3 of the Act.

2. Definitions. –

- (1) In these rules, unless the context otherwise requires:
 - (a) “Act” means the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023);
 - (b) “dealer” means any company registered under the Companies Act, 2013 (18 of 2013), or a limited liability partnership registered under the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009), or an Indian citizen, who deals through import for sale, or lets for hire, sells, offers, repairs, or manufactures for sale, or possess for testing or demonstration, any radio equipment;
 - (c) “portal” means the portal to be notified by the Central Government under rule 13; and
 - (d) “Radio Equipment Possession Authorisation” means the authorisation granted under these rules, which may be of either of the categories as specified under sub-rule (2) of rule 3.
- (2) Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Scope. –

- (1) No person shall possess radio equipment except under and in accordance with Radio Equipment Possession Authorisation granted under rule 6, unless exempted from the requirement of such Radio Equipment Possession Authorisation under rule 4.
- (2) Radio Equipment Possession Authorisation granted under rule 6 may be of either of the following categories:

- (a) Dealer Possession Authorisation; or
(b) Special Possession Authorisation.

4. Exemption from Radio Equipment Possession Authorisation. – Radio Equipment Possession Authorisation shall not be required in respect of:

- (a) radio equipment that has been exempted from the requirement of authorisation under sub-section (3) or sub-section (4) of section 3;
(b) possession of radio equipment by an authorised entity holding authorisation granted by the Central Government under clause (a) or clause (b) to sub-section (1) of section 3 of the Act, and spectrum assignment under sub-section (4) of section 4 of the Act, or license under the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) which is valid pursuant to sub-section (6) of section 3 of the Act and spectrum assignment which is valid pursuant to sub-sections (8) and (9) of section 4 of the Act; and
(c) possession of radio equipment notified by the Central Government, that may be required by a user for use of telecommunication service.

5. Application for Radio Equipment Possession Authorisation. –

- (1) An application for Dealer Possession Authorisation, along with supporting documents, may be made by a dealer in the form and manner as specified on the portal along with payment of fees of one thousand rupees.
(2) The Central Government may, subject to such terms and conditions as it may determine, permit a person, other than a dealer, to apply for a Special Possession Authorisation.
(3) Any person whose Radio Equipment Possession Authorisation has been cancelled as a result of breach of the terms and condition of such authorisation, shall not be eligible to make an application for a Radio Equipment Possession Authorisation for a period of five years from such cancellation.

6. Grant and validity of Radio Equipment Possession Authorisation. –

- (1) The Central Government shall, upon evaluation of the application received under rule 5, and subject to security and administrative clearances of the applicant and assessment of the safety of the premises where such radio equipment is to be stored, grant the relevant category of Radio Equipment Possession Authorisation, specifying:
(a) the premises for storage of the relevant radio equipment; and
(b) applicable validity periods and authorisation fees as specified in sub-rule (2).
(2) The validity period and authorisation fees applicable for each category of Radio Equipment Possession Authorisation shall be as follows:

Category of Radio Equipment Possession Authorisation	Validity Period and Authorisation Fees
Dealer Possession Authorisation	Validity period of not less than one year and not exceeding five years. Any grant for more than one year shall be in multiples of one year or for five years, as requested by the applicant. Authorisation fees of [ten thousand] rupees per annum, payable annually in advance, or, at the dealer's option, in advance for the entire duration of the authorisation.
Special Possession Authorisation	Validity period not exceeding two years, as determined by the Central Government. Authorisation fees of [ten thousand] rupees per annum, or such prorated amount for periods less than one year.

- (3) Radio Equipment Possession Authorisation granted under these rules shall be specific to the premises and location specified in the grant of such authorisation, and any change of location or premises for the storage of the radio equipment may be undertaken by an authorised entity possessing a valid Radio Equipment Possession Authorisation only after obtaining the required security and administrative clearances from the Central Government, pursuant to an

application to be submitted in the form as may be specified on the portal, along with payment of fees of one thousand rupees.

7. Renewal. –

- (1) An authorised entity possessing a valid Radio Equipment Possession Authorisation shall apply for renewal thereof at least one month prior to the expiry of such authorisation, by making an application in the form as may be specified on the portal:

Provided that an application for renewal may be accepted up to three months after the expiry of the relevant authorisation, upon payment of late fees of two hundred and fifty rupees for each month of delay.

- (2) The Central Government shall, upon consideration of an application for renewal:
- (a) renew a Dealer Possession Authorisation for a minimum period of one year and up to a maximum of five years, in multiples of one year, as requested by the authorised entity; or
 - (b) renew a Special Possession Authorisation for a period such that the period of authorisation, including its initial validity period, shall not exceed two years.
- (3) The authorisation fees as specified in sub-rule (2) of rule 6 shall apply for the period of any renewal of the relevant authorisation.

8. General terms and conditions. –

- (1) An authorised entity possessing a Radio Equipment Possession Authorisation shall:
- (a) display the Radio Equipment Possession Authorisation in a conspicuous manner in the premises as specified in such Radio Equipment Possession Authorisation;
 - (b) intimate the Central Government of any change in contact details in the form as may be specified on the portal, within fifteen days of any such change:
Provided that any change in location of the radio equipment shall be undertaken in accordance with the provisions of sub-rule (3) of rule 6;
 - (c) keep in its premises, for the purpose of repairs, the radio equipment of another authorised entity or licensee as specified under clause (b) of Rule 4, or Radio Equipment Possession Authorisation under these rules;
 - (d) maintain documents, accounts, estimates, returns, reports or other information, as specified on the portal, which shall be shared and updated on demand with the Central Government;
 - (e) allow the Central Government, or any officer authorised by the Central Government for this purpose, to carry out physical verification of the radio equipment at the premises of the authorised entity;
 - (f) ensure that the radio equipment in its possession should not become a safety or health hazard and is not in contravention of any provision of any other law for the time being in force; and
 - (g) adhere to such other conditions as may be specified under the Radio Equipment Possession Authorisation.
- (2) No authorised entity shall undertake any assignment or transfer of a Radio Equipment Possession Authorisation held by it or enter into any agreement for sub-leasing of or partnership of or creation of third-party interest over such authorisation, whether directly or indirectly or in any manner whatsoever, without the prior written approval of the Central Government.

9. Conditions for sale or give for hire. – No authorised entity holding a Radio Equipment Possession Authorisation shall sell or give for hire radio equipment to any person, unless such person:

- (a) holds an authorisation granted by the Central Government under clause (a) or clause (b) to sub-section (1) of section 3 of the Act and spectrum assignment under sub-section (4) of section 4 of the Act, or license under the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) which is valid pursuant to sub-section (6) of section 3 of the Act and spectrum assignment which is valid pursuant to sub-sections (8) and (9) of section 4 of the Act; or
- (b) is exempted from the requirement of authorisation under sub-section (3) or sub-section (4) of section 3 of the Act; or
- (c) holds a Radio Equipment Possession Authorisation issued under these rules; or
- (d) is a user who holds a proof of subscription to a telecommunication service.

10. Breach of terms and conditions. –

Any non-compliance with these rules, including the terms and conditions of a Radio Equipment Possession Authorisation, shall be subject to the rules framed under Chapter VIII of the Act.

11. Surrender of Radio Equipment Possession Authorisation. –

- (1) An authorised entity may surrender its Radio Equipment Possession Authorisation at any time by submitting an application, at least thirty days prior to the proposed date of surrender, in the form as may be specified on the portal, along with proof of payment of applicable dues in respect of authorisation fees payable by it till the date of such application:
Provided that no Radio Equipment Possession Authorisation shall be surrendered if such authorisation is the subject matter of proceedings under the rules framed under Chapter VIII of the Act.
- (2) The Central Government shall, based on consideration of the application, either approve such surrender, subject to terms and conditions for disposal of the relevant radio equipment, or reject such application, for reasons to be recorded in writing, within fifteen days of date of receipt of the application under sub-rule (1).
- (3) An authorised entity that has not renewed the relevant authorisation within a period of three months after the expiry of such authorisation, shall, within such period of three months, submit an application seeking directions for disposal of the radio equipment in the form as may be specified on the portal, and the Central Government shall, within fifteen days of receipt of such application, specify the terms and conditions for disposal of the relevant radio equipment.
- (4) Any disposal of the radio equipment pursuant to sub-rule (2) or sub-rule (3), shall be undertaken by the authorised entity in accordance with the terms and conditions specified by the Central Government for such disposal.

12. No refund of fees. –

- (1) Fees paid in respect of an application under these rules shall be non-refundable.
- (2) No compensation or refund of fees shall be applicable as a result of any suspension or cancellation of the Radio Equipment Possession Authorisation for any reason whatsoever.

13. Digital implementation of the rules. – The Central Government, in furtherance of section 53 of the Act, may notify a portal for the digital implementation of these rules, including for the publication of relevant forms, submission of applications, and grant of relevant Radio Equipment Possession Authorisation and approvals specified under these rules.

[F.No. 24-03/2025-UBB]
DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.